

**संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश**

क्र० 9/नर्सिंग/सेल-4/2016/1034

भोपाल दिनांक 2/11/2016

**- आदेश -**

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के आदेश क्र. 9/नर्सिंग/सेल 3/2014/1034 दिनांक 20.10.2014 एवं आदेश क्र. 5647 दिनांक 26.11.2012 द्वारा ए.एन.एम. को जी.एन.एम. प्रशिक्षण हेतु चयन किया गया है। कर्मचारियों द्वारा 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरांत नियमानुसार निम्न कर्मचारियों को पात्रतानुसार 2 वर्ष का अध्ययन अवकाश एवं उनके नाम के सम्मुख दर्शायी गई अवधि के अन्य अवकाश की स्वीकृति दी जाती है :-

क्र०	कर्मचारी का नाम/पद	मूल पदस्थापना स्थान	प्रशिक्षण केंद्र का नाम	प्रशिक्षणरत अथवा प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके जी.एन.एम.	सेवापुस्तिका अनुसार उपलब्ध कराई गई जानकारी	अध्ययन अवकाश की पात्रता/स्वीकृत अध्ययन अवकाश
1	श्रीमति ममता शर्मा (ए.एन.एम.)	सी.एच.सी. बरेली जिला रायसेन	जी.एन.एम. प्रशिक्षण केंद्र रायसेन	प्रशिक्षणरत	सेवा अभिलेखो से प्रथम बार अध्ययन अवकाश लिया जा रहा है।	2 वर्ष का अध्ययन अवकाश दिनांक 27.10.2014 से 27.10.16 तक
2	श्रीमति इन्द्रा सूरमा (ए.एन.एम.)	सी.एच.सी. बरेली जिला रायसेन	जी.एन.एम. प्रशिक्षण केंद्र रायसेन	प्रशिक्षणरत	सेवा अभिलेखो से प्रथम बार अध्ययन अवकाश लिया जा रहा है।	2 वर्ष का अध्ययन अवकाश दिनांक 27.10.2014 से 27.10.16 तक
3	श्रीमति मंजुला सक्सेना (ए.एन.एम.)	महॉत्मा गांधी जिला चिकि. देवास	एम.वॉय अस्पताल इंदौर	प्रशिक्षणपूर्ण	सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला देवास द्वारा अवगत कराया है कि इन्हे 02 वर्ष के अध्ययन अवकाश की पात्रता है।	2 वर्ष का अध्ययन अवकाश दिनांक 27.11.2012 से 27.11.14 तक
4	श्रीमति सुषमा दोहरे (ए.एन.एम.)	जिला चिकि. गुना.	जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र दतिया	प्रशिक्षणरत	सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला देवास द्वारा अवगत कराया है कि इन्हे 02 वर्ष के अध्ययन अवकाश की पात्रता है।	2 वर्ष का अध्ययन अवकाश दिनांक 28.08.2015 से 27.08.17 तक



उपरोक्तानुसार ए.एन.एम. से जी.एन.एम. प्रशिक्षण हेतु 2 वर्ष का अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जाता है। प्रशिक्षण अवधि के अध्ययन अवकाश स्वीकृति के अतिरिक्त आवेदिकाओं के व्यक्तिगत खाते में शेष उपलब्ध अवकाश को पात्रतानुसार ही सामायोजित किया जावे। शेष अवधि के अवकाश की पात्रता न होने की दशा में अवैतनिक अवकाश स्वीकृत करें।

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक को निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले से संबंधित कर्मचारियों का स्वीकृत किया गया अवकाश तभी मान्य किया जावे, जबकि कर्मचारी द्वारा पूर्व में अध्ययन अवकाश के लाभ का उपभोग न किया गया हो। साथ ही इनके अवकाश से संबंधित प्रविष्टी उपरांत अभिलेखों में अंकित कर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

(डॉ. जे. एल. मिश्रा)  
संचालक(नर्सिंग)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

भोपाल दिनांक / / 2016

पृ0क0 9/नर्सिंग/सेल 3/16/

प्रतिलिपि -

1. सी.एम.ओ./सी.एस./बी.एम.ओ. ....की ओर भेजकर लेख है कि संबंधित की सेवा पुस्तिका में स्वीकृत अध्ययन अवकाश को आवश्यक रूप से इंद्राज करने की कार्यवाही करें।
2. प्राचार्य, जी.एन.एम./बी.एस.सी. नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र ..... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. प्रभारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय की ओर स्वास्थ्य विभाग की वेबसाईट पर प्रसारित करने हेतु।
4. संबंधित कर्मचारी की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

संचालक(नर्सिंग)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश